



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



20 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 2 राँची, बुधवार

10 जनवरी, 2024 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 19 - 23 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी, 2024

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III) श्र०नि०-21--श्री रमेश प्रसाद सिंह
श्रम अधीक्षक, पाकुड़ को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, दुमका का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेमलता मुर्मू
सरकार के उप सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

22 दिसंबर, 2023

संख्या- 13/आई.पी.एस.-115/2020-6151--

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
झारखण्ड, राँची ।

विषय:- श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा०पु०से०(2011) के द्वारा दिनांक-29.07.2023 से 19.10.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-3349, दिनांक-26.07.2023 के अनुपालन में श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा०पु०से० ने दिनांक-28.07.2023 के अपराहन में पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज का प्रभार सौंपकर दिनांक-04.08.2023 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया। श्री किस्पोट्टा को विभागीय अधिसूचना सं०-4785, दिनांक-18.10.2023 के द्वारा पुलिस अधीक्षक अपराध, अनुसंधान विभाग, झारखंड राँची के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-20.10.2023 के पूर्वो में प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री अनुरंजन किस्पोट्टा दिनांक-29.07.2023 से 19.10.2023 तक कुल 82 (बयासी) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहें, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा०पु०से०(2011) के द्वारा दिनांक-29.07.2023 से 19.10.2023 तक बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

-
- I. दिनांक-29.07.2023 से 03.08.2023 तक पारगमन अवधि के रूप में ।
 - II. दिनांक-04.08.2023 से 18.10.2023 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a) (ii) तथा 9 (6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में ।
 - III. दिनांक-19.10.2023 को उपार्जित अवकाश के रूप में ।
 3. श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा.पु.से.(2011) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा ।

विश्वासभाजन,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

11 अक्टूबर, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-16/2020 का० 5691--श्री सालखू हेम्ब्रम, झा०प्र०से०, (षष्ठम बैच) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरयू (लातेहार) द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 12.07.2021 से 15.11.2021 तक (कुल 127 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत स्वीकृत किया जाता है ।

- क) दिनांक 12.07.2021 से 26.07.2021 तक - उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत,
(कुल 15 दिन)
- ख) दिनांक 27.07.2021 से 13.08.2021 तक - अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत,
(कुल 18 दिन)
- ग) दिनांक 14.08.2021 से 15.11.2021 तक - असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत ।
(कुल 94 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।
